

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 555] No. 555] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 19, 2007/अग्रहायण 28, 1929

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 19, 2007/AGRAHAYANA 28, 1929

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(ई एम अनुभाग)

भारतीय रिजर्व बैंक

(विदेशी मुद्रा विभाग)

अधिसूचना

मुम्बई, 10 दिसम्बर, 2007

सं. फेमा 171/2007-आरबी

संशोधन

विषय :- विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी किसी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाता) (दूसरा संशोधन) विनियमावली, 2007

सा.का.नि. 778(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 9 के खण्ड (ख) तथा धारा 47 की उपधारा (2) के खंड (ङ) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक, समय-समय पर यथासंशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी किसी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाता) विनियमावली, 2000 (3 मई, 2000) की अधिसूचना सं. फेमा. 10/2000-आरबी) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात :—

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी किसी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाता) (दूसरा संशोधन) विनियमावली 2007 कहलाएंगे।
 - (ii) ये अक्तूबर, 2007 के 6ठे दिन से लागू समझे जाएंगे।@
- 2. विनियमावली में संशोधन.—विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी किसी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाता) विनियमावली,

2000 में विनियम 9, खंड (1) में परन्तुक को निम्नलिखित नए परन्तुक से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

''बशर्ते विनियम 4 में संदर्भित विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाता, रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार खाते के रूप में खोला, धारित किया अथवा रखा जाएगा।''

[फा. सं. 1/23/ईएम/2000-वाल्यूम-IV]

सलीम गंगाधरन, मुख्य महाप्रबंधक

@पाद टिप्पणी :--

- (i) यह स्पष्ट किया जाता है कि इस विनियम के पूर्वव्यापी प्रभाव से किसी व्यक्ति पर कोई प्रतिकृल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- (ii) मूल विनियम 5 मई, 2000 के सं. सा.का.नि. 393(अ) द्वारा भारत का राजपत्र के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किए गए और बाद में निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए :—

सा.का.नि. 675(अ) दिनांक 25 अगस्त, 2000;

सा.का.नि. 89(अ) दिनांक 12 फरवरी, 2001;

सा.का.नि. 103(अ) दिनांक 19 फरवरी, 2001;

सा.का.नि. 200(अ) दिनांक 21 मार्च, 2001;

सा.का.नि. 5(अ) दिनांक 2 जनवरी, 2002;

सा.का.नि. २६१(अ) दिनांक ९ अप्रैल, २००२;

सा.का.नि. 465(अ) दिनांक 2 जुलाई, 2002; सा.का.नि. 474(अ) दिनांक 8 जुलाई, 2002; सा.का.नि. 755(अ) दिनांक 8 नवम्बर, 2002; सा.का.नि. 756(अ) दिनांक 8 नवम्बर, 2002; सा.का.नि. 224(अ) दिनांक 18 मार्च, 2003; सा.का.नि. 398(अ) दिनांक 14 मई, 2003; सा.का.नि. 452(अ) दिनांक 3 जून, 2003; सा.का.नि. 453(अ) दिनांक 4 जून, 2003; सा.का.नि. 11(अ) दिनांक 7 जनवरी, 2004; सा.का.नि. 13(अ) दिनांक 7 जनवरी, 2004; सा.का.नि. 209(अ) दिनांक 23 मार्च, 2004; सा.का.नि. 455(अ) दिनांक 30 जून, 2007;

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(E. M. Section)

RESERVE BANK OF INDIA

(Foreign Exchange Department)

NOTIFICATION

Mumbai, the 10th December, 2007

No. FEMA. 171/2007-RB

AMENDMENT

Subject:— Foreign Exchange Management (Foreign Currency Account by a Person Resident in India) (Second Amendment) Regulations, 2007

G.S.R. 778(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of Section 9 and clause (e) of sub-section (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999) Reserve Bank of India makes the following amendments to the Foreign Exchange Management (Foreign Currency Accounts by a Person Resident in India) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA 10/2000-RB dated 3rd May, 2000), as amended from time to time, namely:—

1. Short Title and Commencement.—(i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Foreign Currency Accounts by a Person Resident in India) (Second Amendment) Regulations, 2007.

- (ii) This shall be deemed to have come into force with effect from the 6th day of October, 2007. @
- 2. Amendment of the Regulations.—In the Foreign Exchange Management (Foreign Currency Accounts by a Person Resident in India) Regulations, 2000 in Regulation 9, clause (1) for the proviso, the following new proviso shall be substituted namely:—

"Provided that the EEFC account referred to in Regulation 4, shall be opened, held or maintained in the form of an account in terms of such directions as may be issued by the Reserve Bank from time to time."

[F. No. 1/23/EM/2000-Vol.-IV]

$SALIM\,GANGADHARAN, Chief\,General\,Manager\\ @\,\, Footnote:$

- It is clarified that no person will be adversely affected as a result of retrospective effect being given to these Regulations.
- (ii) The Principal Regulations were published in the Gazette of India vide No. G.S.R. 393(E) dated 5th May, 2000 in Part II, Section 3, Subsection (i) and subsequently amended vide —

G.S.R. 675(E) dated 25th August, 2000;

G.S. R. 89(E) dated 12th February, 2001;

G.S.R. 103(E) dated 19th February, 2001;

G.S.R. 200(E) dated 21st March, 2001;

G.S.R. 5(E) dated 2nd January, 2002;

G.S.R. 261 (E) dated 9th April, 2002;

G.S.R. 465(E) dated 2nd July, 2002;

G.S.R. 474(E) dated 8th July, 2002;

G.S.R. 755(E) dated 8th November, 2002;

G.S.R. 756(E) dated 8th November, 2002;

G.S.R. 224(E) dated 18th March, 2003;

G.S.R. 398(E) dated 14th May, 2003;

G.S.R. 452(E) dated 3rd June, 2003;

G.S.R. 453(E) dated 4th June, 2003;

G.S.R. 11(E) dated 7th January, 2004;

G.S.R. 13(E) dated 7th January, 2004

G.S.R. 209(E) dated 23rd March, 2004 and

G.S.R. 455(E) dated 30th June, 2007.